

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

वइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

श्री दीपचंद इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटेड
अधिकृत मुकेशकुमार आगाल जाति
माहेश्वरी निवासी ब्लॉक नम्बर 544
शहर मित्राल जिला आनंद गुजरात

प्रतिवादीगण

बनाम 1. कुईयाराम पिता धरमाजी कुम्हार प्रजापति
2. वगताराम पुत्र धर्माजी कुम्हार
निवासीयान जुवलीगंज
3. मेनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मनादर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब
शिवगंज तहसील शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 10/2025

—:निर्णय:—

दिनांक 29.08.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 397 दिनांक 02.07.2025 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2025/595 दिनांक 22.08.2025 से वादग्रस्त भूमि भौजा मनादर-1 पटवार हल्का मनादर-1 तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 430 रकबा 8.1908 हैक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा परिलिखित है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज्ञा दिनांक 29.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

509

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 29.08.2025

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)



फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)
बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी
श्री दीपचंद इंडस्ट्रीज प्रा0
लिमिटेड अधिकृत मुकेशकुमार
आगाल जाति माहेश्वरी निवासी
ब्लॉक नम्बर 544 शहर मित्राल
जिला आनंद गुजरात

बनाम

प्रतिवादीगण
1. कुईयाराम पिता धरमाजी कुम्हार प्रजापति
2. वगताराम पुत्र धर्माजी कुम्हार
निवारीयान जुबलीगंज
3. मेनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मनादर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव
शिवगंज तहसील शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद सं0- 10/2025

दिनांक 29.08.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त भूमि मौजा मनादर-1 पटवार हल्का मनादर-1 तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 430 रकबा 8.1908 हैक्टयर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त भूमि मौजा मनादर-1 पटवार हल्का मनादर-1 तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 430 रकबा 8.1908 हैक्टयर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुक्मनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	-शून्य-

कमांक/कोर्ट/2025/ 510

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 29.08.2025

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)